न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः-235/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00090)

01. नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेंन्ट, रजि. नम्बर 623/JAI/1998-1999 जरिये सचिव सोहन लाल अग्रवाल पुत्र श्री प्रभू दयाल अग्रवाल, आयु 65 वर्ष, जति महाजन निवासी 12/50, मालवीय नगर, जयपुर।

--अपीलान्ट

बनाम

01. मनोरमा पत्नी स्व0 श्री सतीशचन्द्र (मृतक नाम हजफ)
02. नीरज पुत्र स्व0 श्री सतीशचन्द्र,
03. संजय पुत्र स्व0 श्री सतीशचन्द्र,
04. दिनेश पुत्र स्व0 श्री सतीशचन्द्र,
05. मनोज पुत्र स्व0 श्री सतीशचन्द्र,
06. राकेश पुत्र स्व.0 श्री सतीशचन्द्र,
07. नीता पुत्री स्व0 श्री सतीशचन्द्र
08. त्रिशला पुत्री स्व0 श्री सतीशचन्द्र, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासीयान ग्राम चिमनपुरा आमेर हाल आबाद मकान नम्बर 1065, उण्डा महादेव रामगंज बाजार जयपुर।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

--रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.06.2019

पुर्नराविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सपठित अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.04.2009 जिसकी प्रार्थी समिति को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.05.2016 को हुई जिसके जरिये न्यायालय ने अपील संख्या 30/2006 उनवानी मनोरमा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को स्वीकार फरमा दिया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 47 नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा प्रत्ये व्यक्ति जो कि न्यायालय श्रीमान् के किसी भी आदेश से आपने आपको व्यथित मानता है तो वह उक्त आदेश के विरूद्ध पुर्नराविलोकन याचिका प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वह मूल कार्यवाहियों में पक्षकार हो या नही हो। उन्होने कथन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों जो कि 2003 (3)एस.सी.सी. 319 एवं 2005 (12) एस.सी.सी. 149 में रिपोर्ट हुऐ है, में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

मूल कार्यवाहियों में पक्षकार ना हो तो भी यदि वह व्यक्ति अपने आपको किसी न्यायलाय के निर्णय से व्यथित मानता हो तो ऐसा व्यक्ति उसी न्यायालय में पुर्नराविलोकन याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी समिति ने वर्ष 2007 में तत्कालीन समय में प्रचलित बाजार दर से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि का भूगतान मोहन संस बिल्डकोन प्रा.लि. को अदा करके जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाब का नला तहसील आमेर जिला जयपुर पर अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 0.71 हैक्टयर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 148/60 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 152/603 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.26 हैक्टयर खसरा नम्बर 155 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.03 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 186 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.15 हैक्टयर क्रय की एवं क्रयशुदा भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया इसके पूर्व वर्ष 2006 में मोहन संस बिल्डकोन प्रा0लि0 ने भूमि के मूल खातेदारान से उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया, इस सम्बन्ध में प्रार्थी समिति का निवेदन है कि उक्त मोहन संस बिल्डकोन प्रा0लि0 ने उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा भूमि के मूल खातेदारान से प्राप्त किया उसी रूप में उक्त मोहन संस बिल्डकोन प्रा0लि0 ने अपने वास्तविक कब्जेशुदा भूमि का कब्जा उत्तरदाता प्रतिवादी को वर्ष 2007 में सुपूर्द कर दिया एवं प्रार्थी समिति ने उक्त प्रकार से भूमि का वास्तविक कब्ज़ा प्राप्त करने के उपरान्त भूमि के चारों तरफ पॉच–पॉच फीट ऊँची चारदीवारी का निमार्ण कर लिया एवं तभी से प्रार्थी समिति निर्बाध एवं निर्विवाद रूप से बिना किसी अवरोध, बाधा, वाद–विवाद के भूमि पर काबिज होकर भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करती चली आ रही है, ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि सर्वप्रथम भूमि के मूल खातेदारान के वास्तविक कब्ज में रही तत्पश्चात् उक्त भूमि उक्त मोहन संस बिल्डकोन प्रा.लि. के कब्ज़ में रही एंव वर्ष 2007 से प्रार्थी समिति के वास्तविक कब्जे में चली आ रही है एवं उक्त भूमि या /और उसके कोई भी भू–भाग कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 या और उसके पूर्वज के वास्तविक कब्जे में नही रही एवं उक्त सभी तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ज्ञान एवं जानकारी में प्रारम्भ से ही रहे है इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने प्रार्थी समिति को उक्त अपील में पक्षकार के रूप मे प्रतिस्थापित किये बिना उक्त अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त निर्णय पारित हो गया जिससे प्रार्थी समिति विपरित रूप से प्रभावित हुई है जबकि प्रार्थी समिति एक आवश्यक एवं उचित पक्षकार थी जिनकी अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण का समुचित निर्णय नही किया जा सकता था।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को ऐसी भूमि की खातेदारी प्राप्त हो गई जो भूमि ना तो अप्रार्थी

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

संख्या 1 लगायत 8 के कभी भी कब्जे में रही और ना ही उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को प्राप्त हो ही सकती थी लेकिन चूँकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने न्यायालय श्रीमान् को गुमराह करने की अपनी बदनियति से वास्तविक राजस्व नक्शें से भिन्न राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया एंव उक्त भूमि अर्थात खसरा नम्बर 147 जो कि वास्तविक रूप से पुराना खसरा नम्बर 45 का भाग है पर प्रारम्भ से ही प्रार्थी समिति एवं उसके हकपूर्वाधिकारियों के वास्तविक कब्जे में चली आ रही है इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने प्रार्थी समिति को नाजायज रूप से तंग एवं हैरान करने की बदनियिति से प्रार्थी समिति के विरूद्ध उक्त दीवानी वाद प्रस्तुत कर दिया एवं झूँठें मिथ्या, कपोल–कल्पित भ्रामक, अस्पष्ट, अपूर्ण मनगढंत वास्तविकता से परे तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। उन्होने कथन किया है वास्तविक राजस्व नक्शे में जिस भूमि पर कुऑ प्रदर्शित किया हुआ है उस भूमि का खसरा नम्बर 46 है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शे में उक्त भूमि का खसरा नम्बर 45 अंकित किया हुआ है, यदि वास्तविक राजस्व नक्शे के अनुसार कुऐ की भूमि जिस खसरा नम्बर 46 अंकित है, के क्षेत्रफल की गणना की जाये तो उक्त भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1 बिस्वा के बराबर होता है, वास्तविक राजस्व नक्शे में जिस भूमि का खसरा नम्बर 45 अंकित है उस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 46 की भूमि होना अंकित किया गया है एवं वास्तविक राजस्व नक्शे के अनुसार यदि खसरा नम्बर 45 की भूमि के क्षेत्रफल की गणना की जावें तो उक्त भूमि का क्षेत्रफल लगभग 18 बिस्वा होता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार आमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 623 दिनांक 07.04.2005 से भी होती है जिसमें उक्त तहसीलदार ने यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 46 मौके पर एवं नक्शे में रकबा बराबरी से कुऑ 0.01 हैक्टयर ही है एवं खसरा नम्बर 45 मौके पर एवं नक्श नक्शा बराबरी करने पर 0.3 हैक्टयर आता है। उन्होने आगे कथन किया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि राजस्व अभिलेखों या हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजात में अंकित क्षेत्रफल एवं सम्बन्धित भूमि से सम्बन्धी नक्शे या मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल में भिन्नता है तो सम्बन्धित नक्शें या मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल को ही वास्तविक रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की खातेदारी या स्वामित्व की भूमि मानी जायेगी ना कि राजस्व अभिलेख एवं हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 स्वयं के कथनानुसार उन्हे खसरा नम्बर 43 एवं खसरा नम्बर 46 की भूमि आवंटित हुई लेकिन राजस्व नक्शे एवं मौके के अनुसार उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि का कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के दिमाग मे बेईमानी उपजी जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त स्वःनिर्मित एवं फर्जकारी राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 45 को खसरा नम्बर 46 के रूप में परिवर्तित कर दिया एवं

P.T.O.

खसरा नम्बर 46 को खसरा नम्बर 45 के रूप में परिवर्तित कर दिया जिससे कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 खसरा नम्बर 46 की भूमि का क्षेत्रफल अपने स्वयं के स्तर पर बढाने में सफल हो गये एवं इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को बिना किसी अधिकार के, बिना कि आवंटन के अप्रत्यक्ष रूप से उक्त खसरा नम्बर 45 की भूमि प्राप्त हो गई जिस पर उनका कोई अधिकार नही था और ना ही खसरा नम्बर 45 की भूमि कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के पिता स्व0 श्री सतीशचन्द्र शर्मा को आवंटित ही हुई, ऐसी स्थिति में स्वयं के स्तर पर की गई फर्जकारी एवं कूटरचित कार्यवाही जिसका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नही है, के आधार पर पारित किया गया उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2009 सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भूमि के आवंटन के आधार पर ही कोई भी आवंटित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकता जब तक कि ऐसी आवंटित भूमि का आवंटी को कब्जा सुपूर्द नही कर दिया जाये अर्थात आवंटन पत्र के आधार पर किसी भूमि का किसी भी आवंटी को किसी भी प्रकार का हक हित, अधिकार एवं स्वामित्व प्राप्त नही होता, प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के स्वयं के अनुसार ही उनके हकपूर्वाधिकारी श्री सतीशचन्द्र शर्मा को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 43 एवं 46 का वास्तविक कब्जा सुपूर्द कर दिया ऐसी स्थिति में उक्त श्री सतीशचन्द्र शर्मा को को मात्र 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्राप्त हुआ क्योंकि खसरा नम्बर 46 की भूमि का कुल क्षेत्रफल मौके पर एवं वास्तविक राजस्व नक्शे अनुसार मात्र 01 बिस्वा ही है, ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता कि उक्त श्री सतीशचन्द्र शर्मा को 5 बीघा भूमि का वास्तविक कब्जा सुपूर्द किया गया है क्योंकि वास्तव में 5 बीघा भूमि का कब्जा सूपूर्द किया ही नही जा सकता था।

अधिवक्ता अपीलान्ट उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी समिति को उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2009 की सर्वप्रथम जानकारी 15.05. 2016 को प्राप्त हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 20.05.2016 को आवेदन किया जिस पर प्रार्थी समिति को दिनांक 26.05.2016 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई इसलिये प्रार्थी समिति के ज्ञान एवं जानकारी दिनांक 15. 05.016 से उक्त पुर्नराविलोकन याचिका अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है फिर भी यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रार्थी समिति की उक्त पुर्नराविलोकन याचिका निर्धारित अवधि के बाद देरी से प्रस्तुत की गई है तो उक्त देरी माफ किये जाने योग्य है क्योंकि प्राथी समिति को उक्त अपील के लम्बित होने की एवं उक्त निर्णय होने का कोई ज्ञान ही नही था, इसलिये यदि उक्त पुर्नराविलोकन याचिका प्रस्तुत किये जाने में प्रार्थी समिति को कोई भी देरी हुई है तो वह एक सद्भाविक भूल है जो कि क्षम्य है, इसके अतिरिक्त चूंकि न्यायालय श्रीमान् ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में जो भी कोई आदेश पारित किये है वह विधि के प्रावधानों के विपरित पारित किये गये है जिससे कि उक्त आदेश शून्य एवं

राजस्व आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अप्रभावी होने की परिभाषा में आते है एवं कोई भी शून्य एवं अप्रभावी आदेश किसी भी व्यक्ति पक्षकार द्वारा जब कभी भी उक्त आदेश उसके ज्ञान में आवे चुनौती दे सकता है जिसके लिऐ कोई भी मियाद निर्धारित नही की जा सकती है, फिर भी प्रार्थी समिति एहतियात के लिये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत देरी को माफ किये जाने पृथक से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी समिति की ओर से पुर्नराविलोकन याचिका को स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपील संख्या 30/2006 उनवानी मनोहरमा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2009 को पुर्नराविलोकन कर निरस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के पिता सतीशचन्द्र पुत्र नारायण दत्त शर्मा को भूतपूर्व सैनिक होने के कारण सन् 1957 के आवंटन नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि हेतु आवंटन के एक आवेदन पर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन सलाहकार समिति ने सतीशचन्द्र को दिनांक 13.10.1960 को खसरा नम्बर 1799 जो सिवायचक ग्राम बगरुकलां में थी में से 15 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज हो गया और दिनांक 20.06.1971 को सतीशचन्द शर्मा को खातेदार भी दर्ज कर दिय.। उन्होने कथन किया है कि सतीश चन्द ने आवंटन होने के पश्चात व खातेदारी मिलने के पश्चात् एक आवेदन भूमि विनिमय हेतु आवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 4/1/277/राजस्व/ग्रुप111/19 दिनांक 9.10.1982 को सतीशचन्द्र को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1977/4730 रकबा 15 बीघा में 7 बीघा भूमि के बदले ग्राम चिमनपुरा तहसील आमेर में खसरा नम्बर 43 व 46 में से 5 बिघा भूमि का विनिमय में दी जाकर उसके नामान्तरकरण भी दिनांक 19.11.1982 को रेस्पोडेन्ट के पूर्वज सतीशचन्द्र के नाम से स्वीकृत कर दिया गया तब से साबिक खसरा नम्बर 43 व 46 के रेस्पोडेन्ट के पूर्वज एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट बतौर वारिस खातेदार काश्तकार चले आ रहे है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि हाल बन्दोबस्त में साबिक खसरा नम्बर 43 व 46 से जो नये नम्बर रेस्पोडेन्ट को 5 बीघा आवंटन भूमि के बनाये उनमें हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 0.23 हैक्टयर बनाये जो साबिक खसरा नम्बर 46 के 18 बिस्वा रकबे से बनना दर्ज किया है तथा हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 हैक्टयर हाल खसरा नम्बर 188 रकबा रकबा 0.45 हैक्टयर व हाल खसरा नम्बर 189 रकबा 0.57 हैक्टयर को साबिक खसरा नम्बर 43 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा से बनना दर्शाया है तथा वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 143, 146 व 147 को साबिक खसरा नम्बर 45 के 1 बिस्वा रकबे से बनना दर्ज किया है जबकि नक्शे में हाल खसरा नम्बर 143, 146 व 147 का रकबा तो ज्यादा दर्ज कर रखा है और हाल खसरा नम्बर 141 को नक्शे में कुऑ बताकर 0.23 हैक्टयर दर्शा रखा है जबकि नक्शे में हाल खसरा नम्बर 141 रकबे के अनुकूल नही बैठता है जो राजस्व

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

कर्मचारियों की रिकाड व नक्श में कायम करने की गलती है, नक्शे के अनुसार हाल खसरा नम्बर 141, 143, 146, व 147 कोई रकबा सही रूप से नही बैठता है जबकि वास्तव में हाल खसरा नम्बर 143, 146, व 147 जो लगभग 0.23 हैक्टयर है, वह तो रेस्पोडेन्ट की पूर्व आवंटनशुदा भूमि के अनुसार होना चाहिये था या हाल खसरा नम्बर 141 को 143 व 146, 147 की जगह दर्ज किया जाना चाहिये लेकिन मिलान क्षेत्रफल में व रिकार्ड में साबिक मिलान की जो गलती हुई है उसे दुरुस्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट ने एक आवेदन भी उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहाँ प्रस्तुत किया था लेकिन उपखण्ड अधिकारी आमेर ने वास्तविक तथ्यों को जॉच न कर सहवन से खाता हाल खसरा नम्बर 143, 146, व 147 को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से दुरूस्ती न करने का जो आधार लेकर निर्णय दिया वह सरासर गलत है एवं अवैधानिक था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रार्थी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुर्नराविलोकन असाधारण विलम्ब लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है क्योंकि विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थी को दिन प्रतिदिन विलम्ब का ठोस और सटीक कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है परन्तु प्रार्थी समिति द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में हाल खसरा नम्बर 141 व हाल खसरा नम्बर 143, 146 व 147 को इन्द्राज सही रूप से नही होना जाहिर किया है बल्कि अपनी रिपोर्ट में हाल खसरा नम्बर 141 को गत खसरा नम्बर 46 रकबा 18 बिस्वा से बनना जाहिर किया है जिसे नक्शे में गलती से कुऑ दिखा रखा है एवं हाल खसरा नम्बर 143, 146 व 147 जो गत खसरा नम्बर 45 रकबा 1 बिस्वा से बना है जो नक्शे में 0.23 हैक्टयर गलत रूप से दर्ज कर रखा है इस स्पष्ट रिपोर्ट के पश्चात भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की त्रुटि हुई थी जिसे दुरूस्त कराने का आधार 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है जिसे सही रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने नही समझा और जो निर्णय दिया है वह कानूनी मंशा के विपरित होने से रेस्पोडेन्ट की अपील पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपना निर्णय दिनांक 15.04.2009 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुर्नराविलोकन याचिका खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली आ अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकार्ड

P.T.O.

को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 141 के बदले खसरा नम्बर 143, 146, 147 को अपने नाम दर्ज कराना चाहा गया किन्तु उक्त खसरा नम्बरान की खातेधारी जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी में दर्ज होने से खातेदारी अधिकारों को भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत परिवर्तन नही किया जा सकता है इसके लिये तो रेस्पोडेन्ट्स को सक्षम न्यायालय में नियमित दावा दायर करके ही अपने अधिकारों की घोषणा करानी चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि गत खसरा नम्बर 46 रकबा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 0.23 हैक्टयर कुऑ दर्शाया गया है जबकि 0.23 हैक्टयर कुऑ होना संभव नही है एवं गत खसरा नम्बर 45 रकबा 1 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 143, 146, 147 रकबा 0.01 हैक्टयर है। न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा दो भिन्न–भिन्न नक्शे किये गये है जिसके आधार पर पारित आदेश दिनांक 15.04.2009 को रिकॉल (Recall) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुर्नराविलोकन स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या संख्या 30/2006 उनवान मनोरमा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 15.04.2009 को रिकॉल (Recall) किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट की अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2006 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।